रजिस्ट्री सं० डी-(डी) 72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 9, 1976/माघ 20, 1897

No. 35] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 9, 1976/MAGHA 20, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 9th February 1976

SUBJECT.—*Licensing conditions applicable to import licences issued under French Special Credit* 1975-76 *for the Department of Atomic Energy and Space.*

No. 15-ITC(PN)/76.—The terms and conditions governing the issuance of import licences under the French Special Credit, 1975-76 for the Department of Atomic Energy and Space, as given in the Appendix to this Public Notice, are notified for information.

APPENDIX

I. IMPORT LICENCE

1. The import licence will be issued on CIF basis, with initial validity period of four months for contracting and twelve months for completing shipments. However, in the case of capital goods imports, the initial validity of the licence will be twentyfour months from the date of issue.

2. The rupee value of the import licence shall be determined with reference to the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) and prevailing on the date of issue of the import licence and indicated in the body of the import licence(s) as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)/74 dated the 6th June, 1974, issued

by the Min. of Commerce which also enjoin that the Customs Authorities and the authorised dealers in foreign exchange will make debits to the value of the licence(s) at the exchange rate specified on the import licence(s).

3. Each import licence will bear a superscription, "Special French Credit, 1975-76". The two suffixes in the licence code classification number will be for project "S/FE" and for non-project "S/FN".

4. Within a fortnight of the receipt of the import licence, the importer should intimate to the Department of Economic Affairs (WE-I Section) the fact of receipt of the import licence indicating the number, date and value of the import licence and likely date by which the contract documents would be furnished.

5. The condition regarding contracting will not be deemed to have been complied with unless complete contract documents, as provided in para 27 below, are furnished within the stipulated period of four months.

6. Where this stipulation is not complied within four months, the import licence will be deemed to have become invalid. The import licence may, however, be revalidated on an application by the party alongwith the licence in original, to the licensing authority giving reasons for non-compliance with the provisions of the import licence.

7. Such request for revalidation would be considered on merit by the Licensing Authorities who may grant extension upto a further maximum period of two months. If, however, extension is sought beyond upto a further maximum period of two months. licence, such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (WE-I Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

II. CONTRACTING

8. Against the import licence issued under French Credit only one contract on the basis of firm price has to be entered into with the French supplier.

9. However, more than one contract under one import licence may be entered into subject to the permission specifically obtained from the Department of Economic Affairs, giving reasons for doing so, before placing orders.

10. Once a contract has been notified, in accordance with the procedure laid down in Section V below, no amendments to the contract, by way of additions thereto exceeding 10 per cent. of the value of the main contract will be entertained.

If, in any case, the Indian importer apprehends that there will be need to enter into amendments to the main contract resulting in the enhancement of its value by more than 10 per cent., he should immediately inform the CCI&E and the WE-I Section of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance of the full facts of the case and seek their guidance.

11. A contract will normally comprise an Agreement signed by both the parties *viz.*, the Indian Importer and French Supplier *or* it may comprise the order placed by the Indian importer and the letter of acceptance thereof, in unequivocal terms by the French Supplier.

12. A contract comprising a series of correspondence between the two parties frequently amending/revising the various provisions will not be accepted. In such cases, it shall be necessary to prepare a final document including therein the terms agreed to by both the parties and signed as such.

III. TERMS OF CONTRACT

13. **General.**—The contract should be placed on CIF basis. If insurance is paid to an Indian insurance company in Indian rupees, the contract can be placed on C&F basis, which is in any case compulsory for contracts signed by a government agency or a public sector undertaking. The contract should clearly indicate FOB price, freight and insurance charges separately in the case of CIF contracts and the FOB price and freight charges in the case of C&F contracts.

If any importer desires to enter into a contract on FOB basis, he should seek prior permission of the Department of Economic Affairs (WE-I Section), Ministry of Finance, New Delhi, giving reasons for doing so.

14. If any commission is to be paid to the Indian agent of the French supplier, it will be shown separately from the value of the contract in French Francs. The Indian agent's commission will be paid in Indian rupees but will be charged to the total value of the import licence.

15. The rupees value of the contract will be determined in accordance with the rate of exchange applicable to the import licence *vide* para 2 above.

16. **Value Limits of Contracts.**—The value of each contract should not be less than FF 60,000.

17. **Origin of Goods.**—The goods should be of French origin. A stipulation as to the origin of goods should be incorporated in the contract. Wherever a part of the goods is permitted to be of non-French origin, a letter evidencing approval of the French authorities to the third country imports should accompany the contract.

18. **Ports of Shipment.**—Goods, if necessary, can be shipped from non-French ports.

19. **Payment Terms.**—The Special French Credit does not provide for deferred payments. Full payment will therefore be made to the French Supplier against shipments, completion of erection or on commissioning of the plant as indicated in the following paragraphs.

20. **Advance Payments.**—An advance payment of at least 5 per cent. of the FOB Price of the supplies to be paid at the time of the contract coming into effect must be provided. Other terms are settled between the buyers and the sellers, in accordance with the normal international commercial practice for the particular type of goods concerned.

21. However, where an amount higher than 5 per cent. is to be provided for payment as an advance, prior approval of the Department of Economic Affairs should be obtained with full justification, before any commitments are made.

22. **Other Payments.**—Apart from the amount of down payment, the balance amount will have to be paid pro-rata according to the value of the goods covered by each shipment, on the basis of the shipping schedule; or plants, the balance amount will have to be paid at the time of completion of erection or on commissioning of the plant, or pro-rata according to the value of the goods covered by each shipment.

Where the nature of supplies/services covered by the contract requires a performance guarantee, necessitating a provision to the effect that the last instalment of 10 per cent. shall not fall due prior to the end of an adequate period after completion of the deliveries of goods or of the project, the importers should alternatively, agree to the provision for making hundred percent payment at the time of last shipment subject to the condition that a performance guarantee of an approved bank is furnished by the French supplier to the Indian importer; such a guarantee should be discharged at the end of an adequate period after the delivery of the last shipment as agreed mutually between the Indian importer and French supplier.

23. **Other Conditions.**—To make a contract eligible for financing under the Special French Credit, it should suitably incorporate the following provisions, apart from those indicated above as also any other conditions considered necessary by the contracting parties :

(i) The two contracting parties agree that the contract is subject to the approval of the Indian and French authorities for financing under the Special French Credit in terms of the Indo-French Financial Protocol and the licensing conditions issued thereunder by the Government of India.

(ii) The French supplier agrees that in the case of imports of enriched uranium he will be paid from the French Treasury Credit upto 25 per cent. of the value of the contract and the payment of the remaining 75 per cent. will be made from the banks credit in accordance with para 30 of licensing conditions; and in the case of imports other than enriched uranium, the ratio between the Treasury Credit and banks loan will be 50 : 50 respectively.

(iii) The Indian importer and the French supplier agree to furnish such information and documents as may be required under the French Credit Arrangements between the Government of India and France.

24. **Customary Guarantees.**—The importer may arrange and provide for the agreement customary guarantee(s) which may be necessary for safeguarding his interest.

IV. SUBMISSION OF CONTRACT DOCUMENTS

25. Within 20 days of the conclusion of the contract, the importer should send a letter accompanied by the following documents to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (WE-I Section), North Block, New Delhi:—

(i) Ten certified copies of the contract and of any further amendment(s) duly executed in English language and signed by both the Indian importer and French supplier.

(ii) Two photo copies of the import licence valid for contracting on the date of execution of the contract/acceptance by French supplier of the order placed on him by the importers.

(iii) Other particulars stipulated in Annexure—I in triplicate.

The contract will be processed further only after all these documents have been furnished by the importer.

V. NOTIFICATION OF CONTRACT

26. The contract will be notified by the Department of Economic Affairs, to the Counsellor for Economic Affairs, Embassy of France, New Delhi, provided the contract is complete, and documents are in order, the import licence is valid for contracting and is considered eligible for financing under the Special French Credit.

27. The contract will be deemed to have become effective 20 days after its notification as above by the Department of Economic Affairs, provided no objection is raised by the Embassy of France within that period.

VI. METHODS OF PAYMENTS

28. Payments are made to the supplier from the French Treasury loan and the banks credit, on presentation of documents listed in Annexure-II to the Banque Francaise du-Commerce Exterieur Paris on the basis of a "Letter of Instruction" to be issued by the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, on effectuation of the contract.

29. No remittances from India are permissible under the import licence issued under the French Credit, except in terms of condition 31 below.

30. Immediately after payments have been effected in accordance with the letter of instruction referred to above, the original set of documents (negotiable) alongwith details of bank charges (1/8th of one per cent documentation charges plus tax @ 17.60 per cent thereon) and expenses on posting etc will be sent by the Banque Francaise du Commerce Exterieur, Paris to the importer direct.

31. The importer will intimate to his Accounts Officer the necessary details of payments and ensure that the latter (Accounts Officer) promptly accepts the debit for the rupee equivalent of the payments made to the French Suppliers, as and when raised by the Accountant General, Central Revenues, New Delhi on the basis of the relevant advices issued by the Controller of Aid Accounts & Audit, who also receives debits advice from the French bank concerned.

Similarly the bank charges (1/8th of one per cent documentation charges plus tax at 17.60 per cent thereon), expenses on postages and cable fee will be notified by the French Bank concerned to the Controller of Aid Accounts and Audit for payment of these charges in free foreign exchange. The Controller of Aid Accounts and Audit will authorise Chief Accounts Officer, High Commission for India, London to make the payment of the above charges and raise debit against Accountant General, Central Revenues, through O.L.A.C. for passing on the same to the Additional Accountant General (Scientific Department), Bombay. Advance intimation of such debits will also be sent to the Additional Accountant General (Scientific Departments), Bombay for facility in adjustment. Such debit should also be promptly reported to Accountant General, Central Revenues, Bombay.

VII. MISCELLANEOUS

32. The Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, which may arise, between the Indian importer and the French suppliers.

ANNEXURE I

(In duplicate)

[Para 25 (iii)]

To

The Secretary,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
(WE-I Section), North Block,
New Delhi.

SUBJECT:—*Import under the Special Credit* 1975-76.

Sir,

In connection with the import of _____
(short description of the goods or services)
from France under the above credit, we furnish the following particulars:—

(a) Name and Address of the importer—

(b) Import Licence:

(i) Number

(ii) Date

(iii) Amount

(c) Name and Address of the French Suppliers;

(d) Date of the contract;

OR

Date of supplier's final letter of acceptance of the order

(e) Percentage of goods of non-French origin, if any (non-manufactured in France).

(f) Value of the contract in French Francs FOB, Price
Less Indian agent's commission if any _____
Net FOB Price
Plus Freight _____
C&F Price
plus Insurance if paid in French Francs _____
Total CIF price to be _____
financed under the Credit.

(g) (i) Dates of shipment or on which services will be performed

(ii) Value of each shipment or service performed, as stipulated in the contracts.

(h) The date on which payments under the contract will fall

(i) in respect of advance payment (at least 5 per cent of FOB value)

(ii) Other payments.

2. Ten certified copies of the contract (or each of the order and the letter of acceptance) and of the amendment (if any), and two photostat copies of the import licence are enclosed.

3. Debits relating to the transactions are adjustable in the books of _____
(Designation & complete postal
_____ and we shall ensure that they are adjusted as soon as
address of the Accounts Officer)
they are raised in terms of the licensing conditions.

4. You are requested to get the contract approved for financing under the Special French Credit 1975-76 and issue necessary authorisation to the French authorities to arrange for payments to the suppliers or their bankers.

Yours faithfully,

Licensee.

ANNEXURE II

Illustrative List of Documents

(Para 28)

1. Commercial invoice for the value of the equipment shipped and for details of any down payments, as the case may be.

2. Complete set of clean-on board ocean or charter party bills of lading of air way bills, as the case may be, with packing lists where applicable; certificate, if any prescribed in the contracts.

3. Written attestation from the suppliers alongwith necessary customs documents, certifying that the French suppliers have complied with the percentage of non-French expense authorised by the French Government.

4. Any other documents.

P. K. KAUL,
Chief Controller of Imports & Exports

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 9 फरवरी 1976

विषय.—परमाणु ऊर्जा एवं अन्तरिक्ष विभाग के लिए फ्रान्सीसी विशेष ऋण 1975–76 के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंसों के लिए लागू लाइसेंस शर्तें ।

सं० 15-आई० टी० सी० (पी एन)/76.—परमाणु ऊर्जा एवं अन्तरिक्ष विभाग के लिए फ्रान्सीसी विशेष ऋण, 1975–76 के अधीन आयात लाइसेंसों के निर्गमन को नियंत्रित करने वाली जो शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, सूचना के लिए अधिसूचित की जाती है ।

परिशिष्ट

1—आयात लाइसेंस

1. आयात लाइसेंस लागत बीमा-भाड़ा के आधार पर संविदा करने के लिए चार महीने और पोतलदान पूर्ण करने के लिए 12 महीने की प्रारम्भिक वैधता अवधि के लिए जारी किया जाएगा । लेकिन, पूंजीगत माल के आयातों के मामले में लाइसेंस की प्रारम्भिक वैधता जारी होने की तिथि से 24 महीनों के लिए होगी ।

2. आयात लाइसेंस का रुपये में मूल्य, राजस्व (सीमाशुल्क) विभाग द्वारा अधिसूचित और आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि को प्रचलित और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना संख्या 78–आईटीसी(पीएन)/74, दिनांक 6 जून, 1974 के पैरा 2 के अनुसार आयात लाइसेंस(सों) के मुख्य भाग में निर्दिष्ट मुद्रा विनिमय की दर के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा, यह सार्वजनिक सूचना यह भी व्यवस्था करती है कि सीमाशुल्क प्राधिकारी और विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी आयात लाइसेंस(सों) में निर्दिष्ट मुद्रा विनिमय की दर पर लाइसेंस(सों) के मूल्य के नाम ऋणांकन करेंगे ।

3. प्रत्येक आयात लाइसेंस पर एक शीर्षक "विशेष फ्रान्सीसी ऋण 1975–76" होगा । लाइसेंस कोड वर्गीकरण संख्या में दो प्रत्यय "एस/एफई"—परियोजना के लिए और "एस/एफएन"—गैर परियोजना के लिए होंगे ।

4. आयात लाइसेंस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर आयातक को आयात लाइसेंस की संख्यथ दिनांक तथा मूल्य और जिस तिथि तक संविदा दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँगे उसकी सम्भाव्य तिथि निर्दिष्ट करते हुए आयात लाइसेंस की प्राप्ति के तथ्य से आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू–ई–1 अनुभाग) को अवगत करना चाहिए ।

5. जब तक नीचे के पैरा 27 की शर्त के अनुसार पूर्ण संविदा दस्तावेज चार महीने की निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं कर दिए जाते तब तक यह नहीं समझा जाएगा कि संविदा करने से संबंधित शर्त का अनुपालन कर लिया गया है ।

6. जिस मामले में इस अनुबन्ध का चार महीनों के भीतर अनुपालन नहीं किया जाएगा, उसमें आयात लाइसेंस अवैध समझा जाएगा । लेकिन पार्टी द्वारा आयात लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन न करने के कारण बताते हुए मूल लाइसेंस के साथ एक आवेदनपत्र लाइसेंस प्राधिकारी को देने पर आयात लाइसेंस पुनर्वैध किया जा सकता है ।

7. पुनर्वैधीकरण के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा जो अधिक से अधिक दो महीनों की और आगे अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं । लेकिन, यदि वृद्धि आयात लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 6 महीने से अधिक मांगी गई है तो ऐसे प्रस्ताव लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा निरपवाद रूप से आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई–1 अनुभाग), वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजे जाएँगे ।

2—संविदा करना

8. फ्रान्सीसी ऋण के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंस से प्रति केवल एक ही संविदा निश्चित कीमत के आधार पर फ्रान्सीसी संभरक के साथ करनी है ।

9. लेकिन, एक आयात लाइसेंस के अधीन एक से अधिक संविदाएं तभी की जा सकती है जबकि आदेश देने से पहले ऐसा करने के कारण बताते हुए आर्थिक कार्य विभाग से विशेष रूप से अनुमति प्राप्त करली गई हो ।

10. नीचे खंड 5 में निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार जब एक बार संविदा अधिसूचित कर दी गई हो तो उसके बाद उसमें मुख्य संविदा के मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक के संकलनों के तरीके से भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

यदि किसी मामले में भारतीय आयातक को यह अनुभव हो जाता है कि मुख्य संविदा में इसके मूल्य से 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि के लिए संशोधन करने आवश्यक होंगे तो उसे तुरन्त ही मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात और वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, डब्ल्यू ई–1 अनुभाग को मामलों के पूर्ण तथ्यों की सूचना देनी चाहिए और उनके मार्ग दर्शन मांगना चाहिए ।

11. संविदा में सामान्यतः दोनों पार्टियों अर्थात् भारतीय आयातक और फ्रान्सीसी संभरक द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता शामिल होगा अथवा इसमें भारतीय आयातक द्वारा दिया गया आदेश और फ्रान्सीसी संभरक द्वारा स्पष्ट शब्दों में उस आदेश की स्वीकृति का पत्र शामिल होगा ।

12. जिस संविदा में दोनों पार्टियों के बीच विभिन्न शर्तों को बार बार संशोधित/परिशोधित करने के पत्राचारों की श्रृंखला शामिल होगी वह स्वीकार नहीं की जाएगी । ऐसे मामलों में दोनों पार्टियों द्वारा स्वीकार की गई और हस्ताक्षरित शर्तों सहित एक अन्तिम दस्तावेज तैयार करने की सलाह दी जाती है ।

3—संविदा की शर्तें

13. **सामान्य** .—संविदा लागत-बीमा-भाड़ों के आधार पर करनी चाहिए । यदि बीमा किसी भारतीय बीमा कम्पनी को भारतीय रुपये में चुकाया जाता है तो संविदा लागत तथा भाड़ों के आधार पर की जा सकती है, जो कि सरकारी अभिकरण या सरकारी क्षेत्र के संस्थानों द्वारा हस्ताक्षरित संविदाओं के लिए प्रत्येक मामले में अनिवार्य है । लागत, बीमा, भाड़ा संविदाओं के मामले में संविदा में जहाज पर्यन्त निशुल्क कीमत, भाड़ा, बीमा खर्चे और लागत तथा भाड़ा संविदाओं के मामलों में जहाज पर्यन्त निशुल्क कीमत और भाड़ा खर्च स्पष्ट रूप से अलग अलग निर्दिष्ट होने चाहिए ।

यदि कोई आयातक जहाज पर्यन्त निशुल्क आधार पर संविदा करना चाहता है तो उसे ऐसा करने के कारण देते हुए आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई–1 अनुभाग), वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली से पूर्ण अनुमति मांगनी चाहिए ।

14. यदि फ्रेन्च संभरक के भारतीय अभिकर्ता को कोई कमीशन चुकाया जाना है तो यह संविदा के मूल्य से अलग फ्रान्सीसी फ्रैंकों में दिखाया जाएगा । भारतीय अभिकर्ता का कमीशन भारतीय रुपए में चुकाया जाएगा परन्तु आयात लाइसेंस के कुछ मूल्य के प्रति जोड़ा जाएगा ।

15. संविदा का रुपये में मूल्य आयात लाइसेंस के लिए लागू मुद्रा विनिमय की दर के अनुसार निश्चित किया जाएगा । देखिए उपर्युक्त पैरा 2 ।

16. **संविदाओं की मूल्य सीमाएं**.—प्रत्येक संविदा का मूल्य 60,000 फ्रान्सीसी फ्रैन्क से कम नहीं होना चाहिए ।

17. **माल का उदगम स्थान**.—माल फ्रान्स मूल का होना चाहिए । माल के उदगम स्थल के विषय में संविदा में एक अनुबन्ध समाविष्ट होना चाहिए । जहां कहीं ऐसे माल के एक भाग की स्वीकृति दी जाती है जो गैर-फ्रान्स उद्गम का हो तो तीसरे देश के आयातों के लिए फ्रान्सीसी प्राधिकारियों के अनुमोदन का साक्ष्य प्रदर्शित करने वाला एक पत्र संविदा के साथ होना चाहिए ।

18. **पोतलदान का पतन**.—यदि आवश्यक हो तो माल गैर-फ्रान्सीसी पत्तनों से भी लादा जा सकता है ।

19. **भुगतान शर्तें**.—विशेष फ्रान्सीसी क्रेडिट में आस्थगित भुगतान की व्यवस्था नहीं है । इसलिए फ्रान्सीसी संभरक को पूरा भुगतान पोतलदानों पर/निर्माण पूरा हो जाने पर संयंत्र के नियोजित हो जाने पर नीचे की कंडिकाओं में निर्दिष्टानुसार किया जाएगा ।

20. **अग्रिम भुगतान**.—संविदा लागू होने के समय चुकाई जाने वाली संभरणों की जहाज पर्यन्त निशुल्क कीमत के कम से कम 5 प्रतिशत अग्रिम भुगतान की अवश्य व्यवस्था होनी चाहिए । अन्य शर्तें जो किसी विशेष प्रकार के सम्बद्ध माल के लिए सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक प्रणाली के अनुसार क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच तय की जाती है, की भी व्यवस्था की जा सकती है ।

21. लेकिन, जिस मामले में 5 प्रतिशत से अधिक अग्रिम भुगतान के लिए व्यवस्था करनी हो उसमें कोई वचनबद्धता करने से पहले पूर्ण औचित्य के साथ आर्थिक कार्य विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए ।

22. **अन्य भुगतान**.—तत्क्षण भगतान की धनराशि के अतिरिक्त शेष धनराशि पोत-परिवहन अनुसूची या संयंत्रों के आधार पर प्रत्येक पोतलदान में सम्मिलित माल के मूल्य के अनुसार यथा अनुपात

चुकाई जाएगी; शेष धनराशि निर्माण के पूर्ण हो जाने के समय या संयंत्र के चालू हो जाने पर प्रत्येक पोत लदान में सम्मिलित माल के मूल्य के अनुसार या यथा अनुपात चुकाई जाएगी ।

जिस मामले में संविदा के अन्तर्गत आने वाले संभरण/सेवाएँ ऐसी हों कि उन में ऐसी एक निष्पादन गारंटी की आवश्यकता हो जिसमें इस सम्बन्ध में एक अनुबन्ध की आवश्यकता हो कि 10 प्रतिशत की अन्तिम किश्त माल के वितरण के पूर्ण होने या परियोजना पूर्ण होने के पर्याप्त समय के बाद तक देय नहीं होगी तो ऐसे मामले में आयातकों को चाहिए कि वे 100 प्रतिशत भुगतान अन्तिम पोत-लदान के समय करने की शर्त से सहमत हो जाएं और यह इस शर्त के अधीन है कि फ्रान्सीसी संभरक द्वारा भारतीय आयातक को किसी अनुमोदित बैंक से एक निष्पादन गारंटी प्रस्तुत की जाती है, ऐसी गारंटी अन्तिम पोतलदान के माल के वितरण के पर्याप्त समय जो भारतीय आयातक और फ्रान्सीसी संभरक के बीच आपस में तय किया जाए, के बाद मुक्त की जानी चाहिए ।

23. **अन्य शर्तें**.– फ्रान्सीसी क्रेडिट के अन्तर्गत संविदा को वित्तदान के लिए अर्हक बनाने के लिए ऊपर निर्दिष्ट उपबन्धों के अतिरिक्त और संविदा करने वाली पार्टियों द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले किसी अन्य उपबन्धों के भी अतिरिक्त इसमें निम्नलिखित उपबन्ध भी उचित रूप से समाविष्ट होने चाहिए:—

(1) संविदा करने वाली दोनों पार्टियां सहमत हैं कि संविदा भारत-फ्रान्स वित्तीय शर्तों के अनुसार और उसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गई लाइसेंस शर्तों के अनुसार विशेष फ्रान्सीसी क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तदान के लिए भारतीय और फ्रान्सीसी प्राधिकारियों के अनुमोदन के अधीन है ।

(2) फ्रान्सीसी संभरक सहमत है कि पुष्ट यूरेनियम के आयातों के मामले में उसको संविदा के मूल्य के 25 प्रतिशत तक का भुगतान फ्रान्सीसी राजकोष से किया जाएगा और शेष 75 प्रतिशत का भुगतान लाइसेंस शर्तों के पैरा 30 के अनुसार बैंकों के ऋण से किया जाएगा, और पुष्ट यूरेनियम से भिन्न आयातों के मामले में राजकोष ऋण और बैंक ऋण में क्रमशः 50:50 का अनुपात होगा ।

(3) भारतीय आयातक और फ्रान्सीसी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत करने को सहमत है जो भारत सरकार और फ्रान्सीसी सरकार के बीच फ्रान्सीसी क्रेडिट व्यवस्थाओं के अन्तर्गत मांगें जाएं ।

24. **प्रथागत गारंटी**.—आयातक प्रथागत गारंटी, जो उसके हित की रक्षा के लिए आवश्यक हो सकती है, की समझौते में व्यवस्था कर सकता है और दे सकता है ।

4—संविदा दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण

25. संविदा समाप्त होने के 20 दिन के भीतर आयातक को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ एक पत्र वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू–ई–1 अनुभाग) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजना चाहिए:—

(1) भारतीय आयात और फ्रान्सीसी संभरक दोनों द्वारा हस्ताक्षरित और अंग्रेजी भाषा में विधिवत का यथान्वित संविदा और बाद में किए गए किसी संशोधन (नों) की 10 प्रमाणित प्रतियां ।

(2) आयातकों द्वारा फ्रान्सीसी संभरक को दिए गए आदेश की फ्रान्सीसी संभरक द्वारा संविदा/स्वीकृति की निष्पादन तिथि को संविदा करने के लिए वैध आयात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियां ।

(3) अनुबन्ध 1 में निर्धारित अन्य ब्यौरे तीन प्रतियों में ।

संविदा पर आगे तभी विचार किया जाएगा जबकि आयातक द्वारा ये सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए हों ।

5—संविदा को अधिसूचित करना

26. संविदा आर्थिक कार्य विभाग द्वारा आर्थिक कार्यों के सलाहकार, फ्रान्सीसी दूतावास, नई दिल्ली को अधिसूचित की जाएगी, बशर्ते कि वह पूर्ण है, दस्तावेज सही है तो आयात लाइसेंस संविदा करने के लिए वैध होगा और विशेष फ्रान्सीसी क्रेडिट के अधीन वित्तदान के लिए अर्हक समझा जाएगा ।

27. संविदा उपर्युक्त अनुसार आर्थिक कार्य विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना के 20 दिनों के बाद लागू समझी जाएगी बशर्ते कि इस अवधि के भीतर फ्रान्सीसी दूतावास द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती ।

6—भुगतानों के तरीके

28. संभरक को भुगतान, बैंक फ्रन्काइजड कामर्स एक्सट्रियर पेरिस को अनुबन्ध—3 में सूचीबद्ध दस्तावेज प्रस्तुत करने पर फ्रान्सीसी राजकोष ऋण और बैंक क्रेडिट से संविदा प्रभावी होने पर, सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यूनाइटेड कामर्शियल बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले "अनुदेश पत्र" के आधार पर किए जाएंगे ।

29. फ्रान्सीसी क्रेडिट के अन्तर्गत जारी किए गए आयात लाइसेंस के अधीन नीचे की शर्त 31 के सिवाय भारत से किसी भी धन परेषण की अनुमति नहीं है ।

30. ऊपर उल्लिखित अनुदेश पत्र के अनुसार भुगतान प्रभावी हो जाने के तुरन्त बाद बैंक प्रभारों (एक प्रतिशत दस्तावेजीकरण खर्च का 1/8 उस पर 17.60 प्रतिशत की दर से कर) और डाक खर्च आदि के ब्यौरों के साथ दस्तावेजों (परक्राम्य) का मूल सेट, बैंक फ्रैन्काइज ड कामर्स एक्सट्रीयर, पेरिस द्वारा आयातक को सीधे भेजा जाएगा ।

31. आयातक अपने लेखा अधिकारी को भुगतानों के आवश्यक ब्यौरों की सूचना देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, जिसे सम्बद्ध फ्रान्सीसी बैंक से डेबिट सूचना भी प्राप्त होती है, के द्वारा जारी की गई संगत सूचनाओं के आधार पर महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली द्वारा जब और जैसे ही डेबिट मांगा जाए तो आयातक का लेखा अधिकारी फ्रान्सीसी संभरकों को किए गए भुगतानों के तुल्य पैसे के लिए डेबिट को तुरन्त स्वीकार करे ।

इसी प्रकार बैंक प्रभार (एक प्रतिशत दस्तावेजीकरण प्रभारों का 1/8 और उस पर 17.60 प्रतिशत की दर से कर) डाक और केबल शुल्क पर खर्च मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान के लिए सम्बद्ध फ्रान्सीसी बैंक द्वारा सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक को अधिसूचित किए जाएंगे । सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, मुख्य लेखा अधिकारी भारत का उच्च आयोग, लंदन को उपर्युक्त प्रभारों का भुगतान करने के लिए प्राधिकृत करेगा और डेबिट को अपर महालेखापाल (वैज्ञानिक विभाग), बम्बई को भेजने के लिए ओ०एल०ए०सी० के माध्यम से महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व के प्रति उपर्युक्त प्रभारों का डेबिट करेगा । ऐसे डेबिट की अग्रिम सूचना अपर महालेखापाल (वैज्ञानिक विभाग), बम्बई को भी समंजन करने की सुविधा के लिए भेजी जाएगी । महालेखापाल, केन्द्रीय बम्बई को भी ऐसे डेबिट की तुरन्त सूचना देनी चाहिए ।

7--विविध

32. भारतीय आयातक और फ्रेन्च संभरकों के बीच यदि किसी प्रकार का झगड़ा होगा तो भारत सरकार किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेगी ।

अनुबन्ध-1

(दो प्रतियों में)

[पैरा 25(3)]

सेवा में,

सचिव,
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,
डब्ल्यु ई-1 अनुभाग, नार्थ ब्लाक,
नई दिल्ली-1

विषय.—विशेष फ्रान्स ऋण 1975-76 के अन्तर्गत ।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित क्रेडिट के अन्तर्गत फ्रान्स से

(माल तथा सेवाओं का संक्षिप्त विवरण)

का आयात करने के सम्बन्ध में हम निम्नलिखित ब्यौरा देते हैं :—

(क) आयातक का नाम और पता :

(ख) आयात लाइसेंस :

(1) संख्या :

(2) दिनांक :

(3) धनराशि :

(ग) फ्रन्च संभरक का नाम और पता :

(घ) संविदा का दिनांक,
अथवा
आदेशों की स्वीकृति के संभरकों के अन्तिम पत्र का दिनांक :

(ङ) गैर फ्रान्सीसी मूल के माल की प्रतिशतता, यदि कोई हो (अब फ्रान्स में निर्मित किया गया हो) :

(च) संविदा का मूल्य फ्रान्सीसी फ्रेन्कों में पोत पर्यन्त निशुल्क कीमत :

(**घटा**) भारतीय एजेंट का कमीशन, यदि कोई हो
कुल जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य+भाड़ा.....
लागत तथा भाड़ा कीमत+बीमा यदि फ्रा० फे० में चुकाया गया हो.....
ऋण के अन्तर्गत वित्त दान की जाने वाली कुल लागत बीमा भाड़ा कीमत.....

(घ) (1) पोतलदान की तिथियां या वे तिथियां जिनको सेवा कार्य पूर्ण किए जाएंगे ।

(2) संविदा में यथा निर्धारित प्रत्येक पोतलदान या पूर्ण किए गए सेवा कार्य का मूल्य

(ज) वह तिथि जिसको इस संविदा के अन्तर्गत भुगतान देय होगा :—

2. संविदा की (अथवा प्रत्येक आदेश तथा स्वीकृति पत्र की) और संशोधन (यदि कोई हो) की 10 साक्ष्यांकित प्रतियां और आयात लाइसेंस की **दो फोटोस्टेट प्रतियां** संलग्न की जाती हैं ।

3. सौदों से संबंधित ऋण और

(लेखा अधिकारी का पद नाम और पूरा डाक पता)

के लेखों में समंजनीय ऋण के विषय में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वह लाइसेंस शर्तों के अनुसार मांगे जाने पर समंजित किया गया है ।

4. आप से अनुरोध है कि फ्रेंच क्रडिट के अन्तर्गत वित्त दान करने के लिए संविदा अनुमोदित करालें और संभरकों को सीधे भुगतान की व्यवस्था करने के लिए फ्रेंच प्राधिकारियों को आवश्यक प्राधिकरण पत्र जारी करें ।

भवदीय,

लाइसेंसधारी ।

अनुबन्ध—2

दस्तावेजों की निदर्शी सूची

(पैरा 28)

1. पोतलदान किए गए उपस्कर के मूल्य तथा किसी भी तत्क्षण भुगतान के ब्यौरे, जैसा भी मामला हो, के लिए वाणिज्यिक बीजक ।

2. जहां लागू हो पैकिंग सूचियों सहित समुद्री मार्ग बेबाक बिलों या चार्टर पार्टी पोतलदान बिलों या वायुमार्ग बिलों जैसा भी मामला हो, का पूरा सेट, यदि कोई प्रमाणपत्र संविदा में निर्धारित किया गया हो तो वह ।

3. आवश्यक सीमाशुल्क दस्तावेजों सहित संभरकों द्वारा लिखित प्रमाण-पत्र, वह प्रमाणित करते हुए कि फ्रांस सरकार द्वारा प्राधिकृत विदेशी व्यय की प्रतिशतता का फ्रांस संभरकों ने अनुपालन किया है ।

4. अन्य कोई दस्तावेज ।

पी० के० कौल,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1976